



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान

An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India

18 संस्थागत क्षेत्र/ 18 Institutional Area,

शहीद जीत सिंह मार्ग, Shaheed Jeet Singh Marg

नई दिल्ली/New Delhi - 110016

दूरभाष/Telephone: 011-26858570

वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

फ. क्र. 11-E-3056(9)/1/2022-Estt-III | 4176-4260.

दिनांक: ...२१:०९:२०२२

ज्ञापन/ MEMORANDUM

विषय: सब-स्टाफ के पद से कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर वर्ष 2021 तक के लिए विभागीय पदोन्नति (आरक्षित पैनल) / Departmental Promotion upto the year 2021 from the post of Sub-staff to the post of Junior Secretariat Assistant- Reserve Panel.

सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित सब-स्टाफ (Sub-staff) को कनिष्ठ सचिवालय सहायक (JSA) के पद पर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप लेवल 02 में पदोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस विभागीय पदोन्नति पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए कॉलम 8 में उल्लेखित केन्द्रीय विद्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय में उन्हें पदस्थ किया गया है। उन्हें इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के लिए बिना-शर्त अपनी स्वीकृति (Unconditional Acceptance) को इस कार्यालय को दिनांक 03.10.2022 तक उचित माध्यम से मेल आई.डी. kvse23@gmail.com पर प्रेषित करें एवं दिनांक 07.10.2022 तक कार्यभार ग्रहण कर लें अन्यथा पदोन्नति का प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त माना जाएगा और भविष्य में इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। साथ ही केविस (मु.) के पत्र संख्या 6-6/1999/केविस (मुख्यालय) /आरपीएस दिनांक 04.09.2008 के अनुसार दिनांक 08.10.2022 से उन्हें 01 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा एवं उनकी कनिष्ठता में परिवर्तन होगा।

उक्त के संबंध में पदोन्नत कार्मिक के संबंधित प्राचार्य/नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि:

- I. पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई / सतर्कता जांच व अन्य दंडात्मक प्रक्रिया लागू अथवा विचाराधीन नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध उपरोक्त कार्रवाई विचाराधीन है तो उसको कार्यमुक्त न किया जाए व इस संबंध में के°वि°सं° (मुख्यालय) को तत्काल सूचित किया जाए।
- II. पदोन्नत कार्मिक द्वारा पदोन्नति हेतु शैक्षणिक योग्यता जो कि "दसवीं कक्षा उत्तीर्ण" है, प्राप्त कर ली गई है। यदि किसी कार्मिक द्वारा शैक्षणिक योग्यता नहीं प्राप्त की गई है तो उसको कार्यमुक्त न किया जाए व इस संबंध में के°वि°सं° (मुख्यालय) को तत्काल सूचित किया जाए।

SL. NO.	SEN. LIST AS ON 1.1.22	CAT.	EMPL. CODE	NAME OF THE EMPLOYEE	DATE OF BIRTH	KVS UNIT WHERE WORKING AT PRESENT (I.E. HQRS./ RO/ ZIET/ K.V.).	ALLOTTED PLACE OF POSTING AS JSA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	176	SC	30346	SUSHIL KUMAR BHARTI	13.7.1963	BILASPUR	CRPF BILASPUR
2	178	OBC	5575	A.K.VERMA	6.5.1964	MORADABAD	NTPC DADRI
3	181	SC	29051	V SHEKAR	6.5.1966	RO HYDERABAD	RO HYDERABAD
4	183	OBC	19198	JAI CHAND	8.3.1963	ABOHAR	BSF FAZILKA

5	186	SC	43432	OM PRAKASH	12.1.1964	OCF, SHAHJAHANPUR	NO.2 OCF SHAHJAHANPUR
6	187	SC	39075	ISHWAR JAJOT	23.11.1966	RHE PUNE	RHE PUNE
7	188	ST	10228	J.MARNDI	3.2.1965	BARIPADA	BARIPADA MURGABADI
8	189	UR	15882	UPDESH KUMAR KULSHRESTHA	14.11.1962	NO.3 BHOPAL (1ST SHIFT)	NO.3 BHOPAL (1ST SHIFT)
9	190	SC	20607	C MURALI	20.11.1963	NAD ALUVA	NAD ALWAYE
10	193	SC	25243	RAM KISHAN	15.6.1963	SEC 12 DWARKA	SPG DWARKA
11	194	UR	39425	VIJAY L GAIKWA	5.1.1965	ARMY AREA PUNE	9BRD PUNE
12	196	SC	21013	A. RAMALINGAM	13.1.1964	NO.1 TAMBARAM	NO.1 TAMBARAM
13	197	UR	40900	SUNIL KUMAR SINGH	26.5.1967	NO. 2 PATNA (2ND SHIFT)	NO.2 PATNA (1ST SHIFT)
14	198	UR	41623	RAM PUKAR SINGH	4.10.1967	JAWAHARNAGAR	SONPUR
15	199	GEN	1075	INDRA PRASAD BHANDARI	19.5.1964	59BN SSB NANPARA, BAHRAICH	SHRAWASTI
16	201	GEN	1131	MANGAL SINGH	2.1.1965	NO.03, CHAKERI, KANPUR	KANPUR CANT. (1ST SHIFT)
17	203	SC	9868	ASHOK DHANUK	5.5.1965	KUNJABAN AGARTALA	KUNJABAN AGARTALA
18	206	GEN	33387	PASHORI LAL	10.3.1964	NO.1 AKHNOOR	NO.1 AKHNOOR
19	208	UR	11959	RANJAN KUMAR PRADHAN	1.7.1965	NO.1 CUTTACK	NO.1 CUTTACK
20	210	UR	37489	P. THIRUPATTIAH	7.1.1965	NO.1 PORT BLAIR	NO.1 PORT BLAIR
21	215	UR	35101	GULAM RASOOL KHAN	1.1.1963	BANDIPUR	BSF BANDIPUR
22	216	OBC	38064	VALMIK GANPAT PAWAR	1.6.1963	AFS OJHAR	AFS OJHAR
23	224	SC	37796	PRAMILA MAHIDA	1.6.1963	INS HAMPLA	INS HAMPLA
24	226	SC	19978	MAHAVIR SINGH	24.3.1965	SIRSA NO. 2	NABHA CANT.
25	229	SC	17237	GAGAN N CHAUHAN	1.7.1965	AJNI NAGPUR	AJNI NAGPUR (2ND SHIFT)

1. संबन्धित कर्मचारी की केवल बीमारी/प्रसूति संबंधी कारणों के अलावा किसी भी अन्य कारण के आधार पर पद ग्रहण करने की उक्त दी गई अंतिम तिथि में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी, तथापि, बीमारी/प्रसूति से संबन्धित चिकित्सा प्रमाण पत्र, शासकीय अस्पताल/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अस्पताल /सैनिक अस्पताल/कमान अस्पताल, जैसा भी प्रकरण हो, के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सिविल सर्जन द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। संबन्धित कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी ऐसी कोई भी प्रार्थना, यदि हो तो, के.वि.सं.(मु.) को उचित माध्यम से मेल आई.डी. kvse23@gmail.com पर दिनांक 07.10.2022 तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, दी गई पदस्थापना के स्थान में परिवर्तन/संशोधन से संबंधित किसी भी आवेदन/प्रतिवेदन पर (उक्त बिन्दु क्र.1 के अलावा), किसी भी परिस्थिति में कोई भी विचार नहीं जाएगा व दिये गए समयावधि के पश्चात पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वतः ही निरस्त माना जाएगा तथा भविष्य में इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।

विभागीय पदोन्नति पर यह पदस्थापना सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

(Handwritten Signature)
21/09/22

(दीपक कुमार डबराल)

सहायक आयुक्त (स्थापना-2 एवं 3)

वितरण:

1. संबन्धित कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि, वे अपनी पदोन्नति पर पदस्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृत करने संबंधी लिखित स्वीकृति-पत्र (बिना-शर्त) दिनांक 03.10.2022 तक प्रेषित कर दिनांक 07.10.2022 तक कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा इस ज्ञापन का उपरोक्त बिन्दु 2 लागू माना जाएगा तथा भविष्य में उनकी पदोन्नति पर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे।

2. संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय/ संभागीय कार्यालय (कॉलम क्र.7) जहां से कर्मचारी कार्यमुक्त हो रहा के प्राचार्य/ उपायुक्त को इस निवेदन के साथ कि :
 - i. वे उनके कार्यालय/विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले, पदस्थापित विद्यालय/संभागीय कार्यालय (कॉलम क्र.8) जहां कर्मचारी पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने जा रहा है वहाँ पर कनिष्ठ सचिवालय सहायक पद की रिक्ति है या नहीं यह सुनिश्चित कर लें, तत्पश्चात उस कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। यदि उस पद की रिक्ति नहीं है तो, इसकी सूचना के.वि.सं.(मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें व उस कर्मचारी को कार्यमुक्त ना करें ।
 - ii. संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय/संभागीय कार्यालय (कॉलम क्र.7) जहां से कर्मचारी कार्यमुक्त हो रहा है/ कार्यभार ग्रहण (कॉलम क्र. 8) कर रहा है, से संबन्धित कर्मचारी की कार्यमुक्ति/ कार्यभार-ग्रहण की सूचना के.वि.सं.(मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से मेल आई.डी. kvse23@gmail.com पर) प्रेषित करें ।
 - iii. वे कर्मचारी की कार्यभार मुक्ति से पहले पुनः ये सुनिश्चित कर लें कि संबन्धित कर्मचारी की सभी योग्यता कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार है या नहीं, विसंगति होने पर इसकी सूचना को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) के.वि.सं.(मु.) को प्रेषित करें व उस कर्मचारी को कार्यमुक्त ना करें ।
 - iv. संबन्धित कर्मचारी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति से संबन्धित पदोन्नति पर पदस्थापित हो रहा है तो संबन्धित जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन भी कर लें । कोई भी विसंगति होने पर इसकी सूचना के.वि.सं.(मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें व उस कर्मचारी को कार्यमुक्त ना करें ।
 - v. पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई / सतर्कता जांच व अन्य दंडात्मक प्रक्रिया लागू अथवा विचाराधीन नहीं होनी चाहिए । यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध उपरोक्त कार्रवाई विचाराधीन है तो उसको कार्यमुक्त न किया जाए । व इसकी सूचना के.वि.सं.(मु.) को त्वरित गति से (दूरभाष व मेल के माध्यम से) प्रेषित करें ।
3. सभी संभागीय कार्यालय के वित्त अधिकारी, सूचनार्थ ।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/कार्मिक), के.वि.सं.(मु.) सूचनार्थ ।
5. उपायुक्त, (ई.डी.पी. प्रकोष्ठ), के.वि.सं.(मु.) को इस निवेदन के साथ वे इस ज्ञापन को के.वि.सं.(मु.) की वेब-साइट पर प्रकाशित करें ।